अनवान गुमानसिंह V/S मानाराम
मुकदमा नंबर 110 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लादूनगर तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 543 रकबा 4.4262 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.12.01 14:27:57 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक/2024/1153

दिनांक : 14.11.2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गुमानसिंह पुत्र विशनाजी		मानाराम पुत्र पूनमाराम वगैराह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 110/2024 दिनांक :– 08.11.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम लादूनगर तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 543 रकबा 04.4262 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक /2024/1154

दिनांक : 14.11.2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी जेठन्तरी को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी गुमानसिंह पत्र विश्नाजी जाति पुरोहित निवासी लादुनगर तहसील समदडी जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:27:57 IST
Reason: SelfAttested